

फर्द अहकाम

माली/देवी बनाम काल्या

न्यायालय : सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बस्सी

सुनवाई/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 42/2021

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	23/01/24	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी आधिकारिता/अधिकारिता अप्रार्थी सं. 1 पूर्व में उपस्थित था कल मुद्रुपस्थित है) अप्रार्थी सं. 1 को जवाब देते अनेक अवसर दिने जाने पर भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया है अतः अप्रार्थी सं. 1 का जवाब बंद किया जाता है। प्रार्थी आधिकारिता को अस्थायी निषेधाज्ञा पर एक पक्षीय सुना गया।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन करने एवं अप्रार्थी आधिकारिता को एक पक्षीय सुनने के उपरान्त न्यायद्वि को दृष्टान में रखते हुए वाद गुप्त आरजी खतरा नं. 25 रकबा 0.5490 हेक्टर स्थित ग्राम चारणवास प.ट. दूधली तह-बस्सी जि. जयपुर के सम्बन्ध में उभयपक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्ष उक्त विवादित भूमि पर ताफेलका वाद मौजे एवं रिकार्ड की यथास्थिति कतारें रखें।</p> <p>पत्रावली नम्बर से कम होकर वाद वस्तुकीय दाखिल दाफतर हो।</p>	

सहायक कलक्टर  
बस्सी जिला जयपुर